निगरानी / टीए/5870/ 2003 / कोटा
हरिसिंह बनाम किशना व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी । अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने न्यायालय उपखंड अधिकारी दीगोद के समक्ष एक वाद निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिसे उपखंड अधिकारी ने दिनांक 22–5–02 को अदम हाजरी अदम पैरावी में खारिज कर दिया। जिस पर प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 14–11–02 द्वारा देरी से प्रस्तुत करने की स्थिति में खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने आदेश दिनांक 26–8–03 द्वारा अप्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुये उपखंड अधिकारी का निर्णय निरस्त कर दिया तथा परीक्षण न्यायालय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि उपखंड अधिकारी ने अप्रार्थी को दीगोद का निवासी होने के कारण तथा बीमारी बाबत् कोई प्रमाण पत्र डाक्टर का नहीं होने की स्थिति में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अप्रार्थी वादी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया है। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वाद खारिज किया था, जिसे अपीलीय न्यायालय ने गलत तरीके से निरस्त किया है। नियमानुसार देरी का उचित कारण न्यायालय के समक्ष बताना आवश्यक है। देरी से प्रस्तुत किसी भी प्रार्थना पत्र को उचित एवं संतोषप्रद कारण के अभाव में खारिज किया जा सकता है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अप्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी दीगोद का निर्णय यथावत रखा जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी बार बार आवाज लगाये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं। अतः अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया था तथा अप्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दो दिन की देरी से प्रस्तुत करने पर खारिज किया गया है। वादी अप्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि के बाबत् 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत किया है। रेस्टोर प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण वादी अप्रार्थी ने बीमार होना दोनो अधीनस्थ न्यायालयों में बताया गया है। चूंकि वादी अप्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी वादी को बीमार होना मानते हुये रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंण्डोन किया है तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु उपंखड अधिकारी का निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है। मात्र तकनीकी आधार पर किसी पक्ष को न्याय से वंचित करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता तथा नियमानुसार वाद का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	्है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार पक्षकारान को अपना पक्ष रखने से वंचित नहीं किया जा सकता तथा वाद गुणावगुण पर ही निर्णित किया जाना आवश्यक है। यह सही है कि देरी को कण्डोन करना अथवा न करना न्यायालय का स्वविवकीय अधिकार है। किंतु हमारी सुविचारित राय में अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारित करने के आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। निगरानी का क्षेत्र सीमित है तथा निगरानी के माध्यम से अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–03 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हस्तगत् निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार नाग) सदस्य	

निगरानी / टीए/5870/ 2003 / कोटा
हरिसिंह बनाम किशना व अन्य